

निष्पत्ति

# अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 92/2019

विकास कुमार साव

बनाम

सिरका बोर्दना

06-08-19 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या शापक प्र.सं. 674/02-8-19

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रथम पक्ष 1 विकास कुमार साव द्वितीय पक्ष

1 सिरका बोर्दना 2 स्वस्थती युक्त

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 14-08-19 तक दाखिल करें।

22-08-19  
30-08-19  
05-09-19  
13-09-19  
20-09-19  
04-10-19

## भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
<u>शासनतलिका</u>	<u>88</u>	<u>305</u>	<u>829</u>	<u>0.03 d.</u>	पूर्व - <u>शार्वक प्लॉट नं0 827</u>
			<u>830</u>	<u>0.26 d.</u>	पश्चिमी - <u>शार्वक प्लॉट नं0 825</u>
					उत्तर - <u>शार्वक प्लॉट नं0 834</u>
				<u>0.29 d.</u>	दक्षिण - <u>शार्वक प्लॉट नं0 826</u>
		<u>Haika No 5.</u>			

06/8/19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
पोड़ाहाट चक्रधरपुर  
06-08-19

04-10-19. अखिलेश आचार्य / प्रकाश पत्र के बारे में अखिलेश द्वारा वक्तव्य  
कावरी की गई। अखिलेश 10-10-19 को खरेव।  
अखिलेश  
4.10.19

10-10-19. अखिलेश उपस्थापित। वाद बालवापित  
ले चुका है। वाद ही बरिवादि समाप्त  
ही जारी है।

अखिलेश  
10.10.19